संख्याः– 09 /XXX (2)/2017/30(56)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयॉकी
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 03 ~~दिसम्बर,~~ जनवरी 2017

विषयः– सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के समान राजकीय वाहन चालकों को शासकीय व्यय पर न्यायालय में चल रहे वादों के प्रतिवाद की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबधं में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजकीय वाहन चालक महासंघ उत्तराखण्ड द्वारा राजकीय वाहन चालकों को शासकीय मद पर न्यायालय में चल रहे प्रतिवाद की सुविधा अनुमन्य कराये जाने की मॉग की जा रही है।

2– इस संबधं में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय वाहन चालकों के वाहन से शासकीय डयूटी के दौरान कोई एक्सीडेन्ट होता है और संबंधित अधिकारी या महानुभाव, जिसके साथ शासकीय वाहन सम्बद्ध है, द्वारा लिखित में संस्तुति करने पर राजकीय वाहन चालकों को शासकीय मद पर मा0 न्यायालयों में चल रहे वादों पर प्रतिवाद किये जाने में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जायेगी कि यदि वाद में संबंधित वाहन चालक दोषी पाया जाता है तो सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस राजकोष में जमा किया जाना होगा तथा वाद में हुए व्यय का वहन वाहन चालक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयॉकी)
प्रभारी सचिव

I.T. Service Rule
DMS Driver's
12/1/2017